

# प्रेस नोट दिनांक- 07.08.2025

## ऑपरेशन कन्विकशन

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 15.05.2018 को धारा 420,376,419,467,468,471,120बी भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. सन्तोष यादव पुत्र साहब यादव निवासी पसहटा थाना धानापुर जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 111/2018 धारा 420,376,419,467,468,471,120बी भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

आदित्य, लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्णमुरारी शर्मा के पर्यवेक्षण में मानिटारिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी व अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी ब्रजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-07.08.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1. सन्तोष यादव पुत्र साहब यादव निवासी पसहटा थाना धानापुर जिला चन्दौली को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।